

**मांग संख्या 39**  
**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1**

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए ` 30400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 304,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 2**

1. खाद्य निरीक्षक के 62 नवीन पदों के सूजन हेतु आकस्मिकता निधि से ` 100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। इन पदों के बेतन भत्तों हेतु ` 14.88 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. सहायक खाद्य अधिकारी के 26 नवीन पदों के निर्माण पर 10.61 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 10,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

मुख्यालय/मुख्य कार्यालय के बेतन भत्ते हेतु ` 2.08 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,08,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

उपभोक्ताओं के जागरूकता हेतु वित्तीय सहायता के लिए ` 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 से 6**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कम्प्युटरीकरण हेतु ` 335.30 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,35,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान पर ` 841.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 8,41,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

अन्त्योदय अन्न योजना अंतर्गत ` 882.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 8,82,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

शक्कर वितरण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु ` 1561.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 15,61,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

पीली मटर दाल योजना अन्तर्गत ` 4187.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 41,87,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।